



मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

क्र. 27412/एमपीआरडीसी/डी-एम/भोपाल 2021

भोपाल दिनांक 16/11/2021

प्रति,

✓ कलेक्टर महोदय

जिला- रायसेन (म.प्र.)

विषय: गढ़ी-अहमदपुर (0+000 से 18+600) (SH 29) में रायसेन जिले में लगभग 6.93 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि में कार्य करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा गढ़ी- अहमदपुर (0+000 से 18+600) (SH 29) बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमे वन क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगभग 6.93 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लायी जाएगी। जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव लगाया जाना है। वन संरक्षण अधिनियम जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

अतः अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे। जिससे सड़क निर्माण के पूर्व कार्यबाही समय सीमा में की जा सके।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

संभागीय प्रबंधक

एमपीआरडीसी, भोपाल

पृ.क्र...../एमपीआरडीसी/डी.एम/भोपाल 2021

भोपाल दिनांक/11/2021

प्रतिलिपि-

1. पर्यावरण विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संभागीय प्रबंधक

एमपीआरडीसी, भोपाल

22-11-21
आवक लिपिक
कार्यालय रायसेन